खण्ड १, सितम्बर २०२२

बूथ लेवल आफिसर

ई-पत्रिका

संदेश

राजीव कुमार
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

राजीव कुमार

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के अभिनव प्रयास के रूप में 'बीएलओ–ई पत्रिका' के प्रकाशन के अवसर पर मुझे, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक सशक्त एवं समावेशी लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यरत सभी निर्वाचन कार्मिक की, उनकी उत्साहपूर्ण सेवा के लिए इस पत्रिका द्वारा सराहना की जा रही है। इस ई–पत्रिका का लक्ष्य, निर्वाचक नामावली को और बेहतर करने तथा मतदाता जागरूकता को फैलाने के लिए हमारे बूथ लेवल आफिसरों द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों को मान्यता देना और उनका उत्साह बढ़ाना है।

भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया एक बहुत बड़ा उद्यम है, जिसका पूरी दुनिया ध्यान से अवलोकन करती है। हालांकि, सामान्य तौर पर सभी का पूरा ध्यान मतदान दिवस की ओर लगा होता है और पात्र नागरिक मतदान बूथ तक पहुंच सकें, इसके लिए प्रत्येक घर–परिवार से सम्पर्क करने के इस सर्वव्यापी कार्य को कम महत्व दिया जाता है जबकि यह एक दिन का एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। यह निष्ठावान एवं सुयोग्य टीम के कार्य का सुफल है जिससे यह संभव हो पाता है। बीएलओ पत्रिका में आपको इस बात की झलक मिलेगी कि भारत में निर्वाचन कार्य का श्रीगणेश करने के लिए बूथ लेवल आफिसरों की टीम को धरातल पर कैसे प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है।

बूथ लेवल आफिसर मतदाता पंजीकरण सहज करने, निर्वाचक नामावली का अद्यतनीकरण करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण करने और मतदान के दिन सहायता पहुंचाने के अति महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हैं। यह ई–पत्रिका बूथ लेवल आफिसरों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की बारीकियों, आधुनिक काल की प्रौद्योगिकियों एवं पूरे देश में स्वीप के न्यूनतम कार्यकलापों से अवगत कराती रहेगी।

यह पत्रिका स्थानीय स्तर की वास्तविक कहानियों को सामने लाने का एक प्रयास भी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस पत्रिका की सहज सूचनादायक शैली से सभी बूथ लेवल आफिसरों को प्रेरणा मिलेगी।

मैं अपनी तरह की अनूठी इस पत्रिका को यथासंभव उत्कृष्टतम रूप में प्रकाशित करने के लिए अथक परिश्रम करने वाली पूरी टीम के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इसे मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने उन सभी बूथ लेवल अधिकारियों और उनके साथ कार्यरत निर्वाचन कर्मियों को समर्पित करता हूं जिनके हाथों में सही मायनों में भारत निर्वाचन आयोग की बागडोर है।

राजीव कुमार

संदेश

अनूप चन्द्र पाण्डेय
भारत के निर्वाचन आयुक्त

भारतीय निर्वाचनों के भगीरथ

कार्य के निष्पादन में टीमवर्क के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके सफल निष्पादन में प्रत्येक हितधारक मजबूती से डटा रहता है और उस अदम्य भावना का प्रदर्शन करता है जिसके कारण भारत निर्वाचन आयोग इन निर्वाचनों का, कोविड संकट के समय में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी, सहभागी एवं सुगम तरीके से संचालन करने में सफल हो पाया।

यह अनुकरणीय टीम निर्वाचनों को देशभर में मनाए जाने वाले उत्सव रूप में बदल देती है। बीएलओ ई–पत्रिका इस समूह भावना पर जोर डालती है और बूथ लेवल आफिसर, जो भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचकों के बीच एक सेतु की तरह होते हैं, के साथ जुड़ाव कायम करने के प्रयास में बीएलओ की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

बूथ लेवल ऑफिसर मतदाताओं के लिए मित्र, ज्ञानी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाते हैं कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकें। बीएलओ ई–पत्रिका न केवल बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों का वृत्तांत प्रस्तुत करती है बल्कि जमीन से जुड़े उनके अनुभवों को भी सामने लाती है।

हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव इसकी सच्ची भावना के साथ मनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सेवारत प्रत्येक बीएलओ को समर्पित बीएलओ ई–पत्रिका को प्रस्तुत करके मैं अत्यन्त आनंदित महसूस कर रहा हूं।

मैं बूथ स्तर पर कार्यरत बूथ लेवल आफिसरों द्वारा निष्पादित कार्य की झलकियां प्रस्तुत करने के लिए आयोग की पूरी टीम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को बधाई देता हूं।

अनूप चन्द्र पाण्डेयद्ध

सम्पादन समिति

एनएन. बुटोलिया
वरि. प्रधान सचिव (निर्वाचक नामावली)

अशोक कुमार
निदेशक (आईटी.)

कुलदीप कुमार सहरावत
निदेशक (आईआईआईडीईएम-प्रशिक्षण)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दीपाली मासीरकर
निदेशक (निर्वाचन योजना)

संतोष अजमेरा
निदेशक (स्वीप) - सदस्य संयोजक

सम्पादक मंडल

आरक़े. सिंह
समन्वयक, स्वीप

अनुज चांडक
संयुक्त निदेशक (स्वीप)

नूपुर प्रवीण
कम्युनिकेशन, कन्सल्टेंट

ईशा खान
ग्राफिक डिजाइनर

Voter Turnout App | PwD App | Voter Helpline App | cVIGIL App | Know Your Candidate App | Garuda App

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

महत्वपूर्ण तथ्य

बूथ लेवल आफिसर

- वर्ष 2006 में, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की त्रुटिमुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) नियुक्त करने की संकल्पना प्रस्तुत की।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख(2) के अंतर्गत, बूथ लेवल आफिसर की नियुक्ति सरकारी, अर्ध सरकारी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में से की जाती है।
- बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) वस्तुतः बूथ स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है। वह उसको सौंपे गए मतदान क्षेत्र के संबंध में फील्ड की वास्तविक जानकारी एकत्रित करने, नागरिकों से पंजीकरण फार्म एकत्रित करने तथा नामावली पुनरीक्षण कार्य में केन्द्रीय भूमिका अदा करता है।
- निर्वाचक नामावली से संबंधित मामलों में वह स्थानीय लोगों का मित्र, ज्ञानी और मार्गदर्शक होता है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में बीएलओ सूचना एकत्रित करने, फील्ड सत्यापन करने तथा पात्र मतदाताओं, मृत मतदाताओं तथा ऐसे मतदाताओं की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होता है जो अब मौजूदा लोकेशन पर निवास नहीं करते हैं।

बीएलओ के लिए काम का एक दिन

बीएलओ उपलब्धिरू 100% एपिक-आधार अनुबंधन

अनेक जिलों के बूथ लेवल आफिसरों ने 100% एपिक-आधार अनुबंधन कार्य को पूरा कर लिया है।

राज्यः नागालैंड
जिलाः पेरेन
नामः हियारोलियाबे
पदनामः प्राथमिक शिक्षक
विद्यालयः जीपीएस हियुनाम्बे
मतदान केंद्रः 7ध्58 हियनाम्बे

राज्यः कर्नाटक *
जिलाः कोप्पल
नामः इरम्मा
पदनामः प्राथमिक शिक्षक
मतदान केंद्रः 194—गवर्मेंट प्राथमिक विद्यालय

* क्लिक किए जाने योग्य लिंक

कर्तव्यपथ पर बीएलओरू क्षेत्र से झलकियां

पुनरीक्षण-पूर्व कार्यकलाप

- बीएलओ रजिस्टर को अद्यतन करना
- घर–घर जाकर सर्वेक्षण करना
- मतदान केंद्रों में फोटो लेना और समन्वय कार्य
- मतदान केंद्रों में आश्वासित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) के बारे में जानकारी एकत्रित करना
- मतदान केन्द्रों को युक्तिसंगत बनाना
- दोहराव वाले एपिक को हटाना
- जनांकिकीय रूप से सदृश प्रविष्टियों को हटाना
- मृत निर्वाचकों (के नाम) को हटाना
- तर्कसम्मत त्रुटियों को हटाना

पुनरीक्षण कार्यकलाप

- फार्म 6,7,8 और अन्य प्ररूपों (फार्म) को भरना
- घर–घर जाकर सर्वेक्षण करना
- लैंगिक अनुपात, निर्वाचक जनसंख्या (ईपी) अनुपात, युवाओं के नामांकन में अंतर इत्यादि जैसे मानदण्डों के संदर्भ में निर्वाचक नामावली की संवीक्षा करना
- आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग निर्वाचकों को चिह्नित करना
- राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय करना

मतदान-पूर्व कार्यकलाप

- बूथ लेवल आफिसरों द्वारा निर्वाचकों को मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) का वितरण करना
- अनुपस्थितध्स्थानांतरितध्मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची तैयार करना
- मतदाता गाइड का वितरण करना
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड मरीजों को कोरे फार्म 12घ का वितरण करना और उनसे भरे हुए फार्म 12घ एकत्रित करना

मतदान-दिवस कार्यकलाप

- हेल्प डेस्कध्मतदाता सहायता बूथ
- मतदान प्रक्रिया की समीक्षा

मतदाता पंजीकरण के लिए चार नई अर्हक तिथिया

पहले, नए मतदाताओं को तब नामांकित किया जाता था जब वे 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाते थे और यह वर्ष में एकमात्र अर्हक तिथि हुआ करती थी। अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14(ख) में संशोधन किए जाने के कारण नामांकन के लिए एक वर्ष में चार मौके होंगे। ये चार अर्हक तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर हैं।

नये मतदाता का पंजीकरण	फार्म-६
नाम शामिल किएध्हटाए जाने के प्रस्ताव के प्रति आपत्ति करना	फार्म-७
निवास स्थान में परिवर्तन/ वर्तमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करना/ एपिक का बदला जाना/ दिव्यांगजनों को चिह्नित करना	फार्म-.८

स्मार्ट बीएलओ

आयोग के निम्नलिखित आईटी एप्स की सहायता से मतदाताओं को सुविधा प्रदान करता है

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल

एनवीएसपी (https://www.nvsp.in/) निर्वाचन सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए एक पोर्टल है। एक प्रयोक्ता अन्य सेवाओं के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है और उन तक पहुंच सकता है जैसे मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना, नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदाता कार्ड में संशोधन करना, ई–नामावली में नाम ढूंढना, मतदान बूथ, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का विवरण देखना, और बूथ लेवल आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संपर्क विवरण प्राप्त करना।

मतदाता हेल्पलाइन एप (वीएचए)*

नागरिक विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं जैसे कि मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में सुधार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदाता बूथ, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का विवरण देखना और बूथ लेवल आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सम्पर्क विवरण प्राप्त करना। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

मतदाता पोर्टल

इसी तरह, फार्म जमा करने की प्रक्रिया सहज करने के लिए श्मतदाता पोर्टलश (https://voterportal.eci.gov.in/) पंजीकरण, प्रविष्टियों में परिवर्तन, विलोपन, पते में परिवर्तन आदि के लिए निर्बाध इंटरफेस उपलब्ध कराता है। पोर्टल में लॉगइन करने पर नागरिक के सामने अब अंतरूक्रियात्मक इंटरफेस प्रस्तुत होता है जिसमें उसके पिछले चयन के आधार पर विकल्प के चयन का सुझाव मिलता है।

दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) एप *

दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) एप, दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है। दिव्यांग निर्वाचक इसके माध्यम से स्वयं को दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के रूप में चिह्नित करने, नए पंजीकरण के लिए अनुरोध करने, स्थानांतरण के लिए अनुरोध करने, ई–एपिक विवरण में सुधार करने, व्हीलचेयर के लिए अनुरोध कर सकता है। यह आंशिक दृष्टिहीनता तथा आंशिक श्रवणहीनता वाले निर्वाचकों के मोबाइल फोनों की अभिगम्यता विशिष्टताओं का उपयोग करता है। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है।

गरुड़ एप

स्मार्ट बीएलओ फार्म एवं अन्य सूचनाएं दर्ज एवं प्रस्तुत करने के लिए गरुड़ एप का उपयोग करता है।

गरुड़ का 9 अगस्त, 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ किया गया था। आयोग की इन–हाउस आईटी टीम द्वारा विकसित यह एप बीएलओ के निमित्त बनाया गया मोबाइल एप है ताकि वे अपने कार्य डिजिटल रूप से निष्पादित कर सकें।

गरुड़ एप के मुख्य प्रकार्य निम्नानुसार हैंरू

- प्ररूपों की जांच–सूचीध्फील्ड सत्यापन।
- एएमएफ (आश्वासित न्यूनतम सुविधा) तथा ईएमएफ (विस्तारित न्यूनतम सुविधा) की जानकारी एकत्रित करना।
- मतदान केंद्रों के जीआईएस निर्देशांक लेना।
- मतदान केंद्रों का फोटो अपडेट करना।
- फार्म जमा लेना।
- अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत (एएसडी) मतदाताओं को चिह्नित करना।

*क्लिक किए जाने योग्य लिंक

बूथ स्तर के वृत्तांत

बेड़ियों को तोड़ते हुए

पात्र नागरिक अधिक से अधिक संख्या में नामांकन करवा सकें, इसके लिए बूथ लेवल आफिसर कल्याणकारी उद्देश्यों और निर्वाचन कार्यनीति के बीच किस प्रकार तालमेल बिठाते हैं।

सुकरु माझी
७७ ए.सी. लांजीगढ़ गांव, उड़ीसा

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मौजूदगी से महिलाएं कभी–कभी सार्वजनिक परिदृश्य से अलग–थलग हो जाती हैं। यह कहानी उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ तहसील की है जो एक जनजाति बहुल क्षेत्र है।

वर्ष 2020 में, महिला मतदाता पंजीकरण राष्ट्रीय औसत से कम था। ऐसा पाया गया कि निरक्षरता, घरेलू सत्ता समीकरण एवं सामान्य अनभिज्ञता के कारण महिलाएं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाती थीं।

बूथ नं. 270 के सुकरु माझी जैसे ब्लॉक लेवल आफिसरों के सतत प्रयास के कारण वर्ष 2022 में उस विशेष बूथ में महिला मतदाताओं का पंजीकरण 17% से बढ़कर 67% हो गया।

बूथ लेवल आफिसर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की एक टीम ने घर–घर जाकर उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया से अवगत कराया।

बूथ लेवल आफिसर ने मतदाता हेल्पलाइन एवं गरुड़ एप का उपयोग करके उनका ऑनलाइन पंजीकरण करवाया।

सौजन्य रू
श्रीमती संघमित्रा सतपथी,
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उड़ीसा

मिनिंग्स्टर सॉक्मि
३०-मईरंग गांव, मेघालय *

30–मईरंग गांव के अंतर्गत बूथ लेवल आफिसर, मिनिंग्स्टर सॉक्मि की कहानी प्रेरक एवं हृदयस्पर्शी है। मॉसमि गांव के 52 वर्षीय गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षक को अपना निर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने की कोशिश करते और नागरिकों को निर्वाचनों के महत्व से अवगत कराते समय जनता के खुले विरोध का सामना करना पड़ा।

विषम परिस्थितियों के बावजूद वे घने जंगलों और टूटी–फूटी कच्ची सड़क को पार करते हुए अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्र तक पहुंचते थे और उन्हें अक्सर चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पेड़ों के नीचे आश्रय लेना पड़ता था। वहां के निवासी उनको इस हद तक नापसंद करते थे कि नामांकन और एपिक में सुधार करने के लिए घर–घर जाने के दौरान लोग उन्हें गालियां देते थे।

ऐसे निरादर के बावजूद, वे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने रहे और अत्यंत निष्ठा के साथ गांव में निर्वाचन कार्यों को निष्पादित किया। गांव में नामांकन कराने वालों की संख्या आम तौर पर कम होती थी, लेकिन बीएलओ सभी को नामांकन के लिए राजी करते रहे और वैसे लोगों की मदद की जिन्हें एपिक की आवश्यकता थी। उनकी कड़ी मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत से गांव वाले, जो उनके खिलाफ हुआ करते थे, ने एपिक की उपयोगिता और महत्व को समझना शुरू कर दिया है और अपना नामांकन करवा लिया है। अकेले इस बात से बीएलओ इतने प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने गांव में 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

सौजन्य रू
सब–डिवीजनल आफिसर (निर्वाचन)
प्रभारी मईरंग सिविल सब–डिवीजन,
मईरंग, मेघालय

*क्लिक किए जाने योग्य लिंक

बातों बातों में

बीएलओ के साथ बातचीत

सिद्धार्थ शंके *
30 फातोर्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा

नमस्ते! मैं सिद्धार्थ शंके, गोवा में 30–फातोर्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं. 23 का बीएलओ हूं। मेरा मतदान बूथ संत ऐनी स्कूल, ईस्ट विंग, अगल्ली है।

बीएलओ के रूप में मेरा प्रथम कर्तव्य निर्वाचक नामावली को सत्यापित करना था। स्थानीय होने के कारण मेरे लिए विभिन्न स्थानों पर जाना आसान था। मैंने घर–घर जाना शुरू किया और मतदाता सूची में नामों तथा पतों को ठीक किया और हटाया तथा नए नामों को जोड़ा। लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और मैं नागरिकों का पूर्ण सहयोग करने की कोशिश करता हूं।

एक दिन मैं एक वरिष्ठ नागरिक से मिलने गया जिन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ अपना मत डालने के लिए 1.4 किमी से अधिक की यात्रा करना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने अनुरोध किया कि क्या उनके घर के पास कोई मतदान केंद्र स्थापित किया जा सकता है। मैंने अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और मतदान केंद्र को वर्तमान स्थान, सेंट एन्स स्कूल, ईस्ट विंग, अगल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद, मैंने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को इस नए मतदान केंद्र के पते के बारे में व्हाट्सएप संदेश भेजा। मतदान केंद्र के नए स्थान पर स्थापित किए जाने के बाद, लोग अब अपना मत डालने में सक्षम हो गए हैं। अच्छी खबर यह है कि मतदान प्रतिशत भी 70 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया।

मुझे सौंपे गए क्षेत्र के सभी मतदाता मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी उन्हें एपिक कार्ड से संबंधित किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है तो वे मुझे संदेश भेजते हैं। वे मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलने आते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) वेबसाइट (www.nvsp.in/voterhelpline), या गरुड़ एप के माध्यम से भी उनकी मदद कर सकता हूं।

Siddharth Shanke being awarded (R) for his good work

* क्लिक किए जाने योग्य लिंक

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

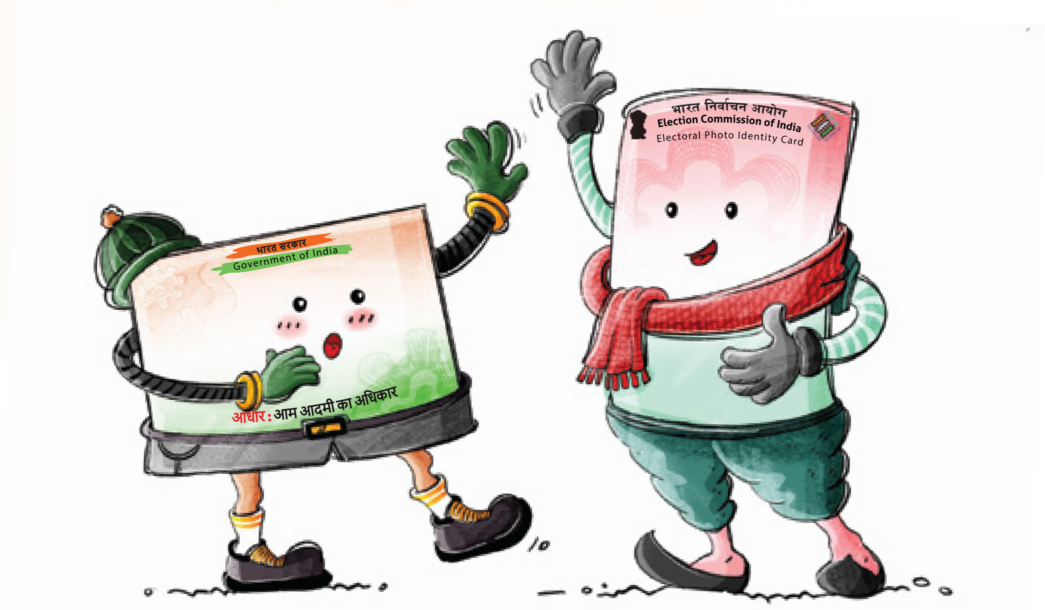

आधार-एपिक अनुबंधन

विश्वसनीय एवं सशक्त निर्वाचक नामावली की दिशा में और एक कदम

नया फार्म 6बी भरकर अपने आधार को एपिक के साथ जोड़ें

आधार-एपिक अनुबंधन वैकल्पिक है।